अन्तरिक्ष विभाग में राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

1353. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बद्ध हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है;

(ख) विभाग के संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर, किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण है जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायण) : (क) परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अंतरिक्ष विभागों के लिए एक ही संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति है। 1987 की अवधि में अब तक इस समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं। राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में संबंधित मंत्रालय/विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति के एक आसानी से उपलब्ध गैर-सरकारी सदस्य को पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

(ख) अंतरिक्ष विभाग और इसके अधिकांश केन्द्र/यूनिटें क्षेत्र "ग" में स्थित है। चूंकि इनमें कार्यरत कर्मचारियों को हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त नहीं है, अतः फिलहाल किसी भी अनुभाग (हिन्दी अनुभाग के अलावा) में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करना संभव नहीं है।

(ग) विभाग के सचिवालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्णतया अनुपालन किया जा रहा है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

1354. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बद्ध हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष की कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है;

(ख) मंत्रालय, इसके विभागों, संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों मे, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर, किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने का क्या कारण है जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए हुए 10 वर्ष हो चुके हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों के राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) इस वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की दो बैठकें आयोजित हुई हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति में पर्यवेक्षक के रूप में अभी तक किसी भी गैर-सरकारी सदस्य को नामित नहीं किया गया है।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तीन स्वतंत्र विभाग हैं, नामतः विज्ञान और प्रौद्यो-

गिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग तथा जैव-प्रौद्योगिकी विभाग । विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तीन अधीनस्थ कार्यालय हैं, नामत: भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत मौसम विज्ञान विभाग तथा राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन । हिन्दी में शत-प्रतिशत कार्य करने के लिए अनेक कार्यालय/अनुभाग अधिसूचित किये गये हैं । वैज्ञानिक किस्म का कार्य होने के कारण हालांकि शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सका है, फिर भी इस दिशा में काफी प्रगति हुई है । जैव-प्रौद्योगिकी विभाग तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग हाल ही में बने हैं तथा इन विभागों में अपेक्षित हिन्दी पदों के सृजन के लिए और हिन्दी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ग) मंत्रालय व इसके अन्य कार्यालय राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन कर रहे हैं ।

Government Servants taking Jobs in Foreign Universities

1355. SHRI GURUDAS DAS GUPTA :

SHRI CHATURANAN MISHRA :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of leading former Indian Civil Servants, particularly from foreign service, have taken up positions in foreign universities soon after their retirement to conduct courses which impinge on foreign relations;

(b) whether Government have any record of such cases and if so, the details thereof;

(c) what is Government's reaction to such practices;

(d) whether the foreign service officials are covered by the restrictions applicable to Government servants not to seek employment within two years of retirement in the same fields they worked; and

(e) if so, whether Government have a proposal to make it applicable to them also ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI EDUARDO FALEIRO) : (a) to (c) Central Civil Services Pension Rules which govern the employment of retired Government officials do not require the prior permission of the Government of India for employment with a university. Information regarding the cases of officers who have taken up post-retirement assignments in foreign universities it not maintained as this is not required under the CCS Pension Rules.

(d) Yes, Sir.

(e) Does not apply.

Proliferation Treaty between India and Pakistan

1356. SHRI A. G. KULKARNI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether he had a discussion with President Reagan in October, 1987 and one of the items discussed was non-proliferation treaty between India and Pakistan and arms supply to Pakistan; and

(b) if so, what was the outcome of this discussion and whether there is any proposal to sign a Treaty ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH) : (a) and (b) Prime Minister made it clear that there was no question of aquating India's peaceful nuclear programme with Pakistan's relentless quest for nuclear weapons. The question of a bilateral treaty with Pakistan does not arise in view of our overall policy on the subject. The US government are also aware of India's stand on the issue of the supply of sophisticated arms to Pakistan beyond that country's legitimate defence requriements.

Shifting the Staff of Directorate of Standardisation

1357. SHRI KAILASH PATI MISHRA :

SHRI SHANKER SINH VAGHELA :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether some staff from Chief Administrative Officer's Organisation and